मु .नं.14 / 2016 विक्रमसिंह बनाम मदनसिंह वगैरह

21.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। प्रार्थीगण वकील ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया, कि मौजा रावतसर पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 786 रकबा 3.62 हैक्टयर प्रार्थीगण की पुश्तैनी आई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्व अधिकार है। बेचरसिंह के फौत होने पर उनकी विधिक वारिश हवाकंवर का नाम दर्ज नही किया गया तथा अप्रार्थी मदनसिंह व जालमसिंह का अवैध हिस्सा दर्ज किया गया जिसका नाजायज फायदा उठाकर मदनसिंह ने हिस्से से अधिक भूमि बैचान अप्रार्थी संख्या 3 महादेवा को कर दिया तथा शेष भूमि भी बैचान करने पर तुले हुए है मौके पर कब्जे का हस्तान्तरण नही होकर प्रार्थीगण का है भूमि अविभाजित है। जिससे आगे से आगे बैचान,रहन करने के लिए अप्रार्थीगण तुले हुए है। जिससे प्रार्थीगण हमेशा के लिए हक से वंचित रह जाएगें। जिन्हे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्व अधिकार व कब्जा है हवाकंवर हमारी माता है जो मेरे साथ रहती है। हवाकवंवर का नाम राजस्व रेकर्ड में छुट गया था, जिससे हवाकंवर का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि में अधिकार,हिस्सा, शेयर, घोषित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा रावतसर पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 786 रकबा 3.62 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner